

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1972)

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 20-1-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14-4-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 25-4-1972 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 28-4-1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने तथा उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- | | |
|---|--|
| 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा । | संक्षिप्त नाम |
| 2—1951 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 100-क में, उपधारा (2) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक “उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर” के स्थान पर शब्द तथा अंक “तीस जून, 1972 को या इसके पूर्व” रख दिये जायें । | 1951 ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 की धारा 100-क का संशोधन |
| 3—मूल अधिनियम की धारा 100-ख में, उपधारा (2) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक “उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर” के स्थान पर शब्द तथा अंक “तीस जून, 1972 को या इसके पूर्व” रख दिये जायें । | धारा 100-ख का संशोधन |
| 4—मूल अधिनियम की धारा 240-ज की उपधारा (3) में, उपधारा के प्रारम्भ में आये हुए शब्द “डिस्ट्रिक्ट जज” के स्थान पर शब्द “सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय” रख दिये जायें । | धारा 240-ज का संशोधन |

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 16 सितम्बर, 1971 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।]

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND
REFORMS (AMENDMENT) ACT, 1972

[U. P. Act No. 20 OF 1972]

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur
Bhoomi-Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam. 1972]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act,
1950 and to provide for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India
as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and
Land Reforms (Amendment) Act, 1972.

Short title.

2. In section 100-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land
Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2),
for the words, brackets and figures "within one year from the commencement of
the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969", the words and figures
"on or before thirtieth June, 1972", shall be substituted.

Amendment of
section 100-A of
U. P. Act no. 1
of 1951.

3. In section 100-B of the principal Act, in sub-section (2), for the words,
brackets and figures "within one year from the commencement of the Uttar
Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969", the words and figures "on or
before thirtieth June, 1972", shall be substituted.

* Amendment of
section 100-B.

4. In sub-section (3) of section 240-H of the principal Act, for the words
"The District Judge" occurring in the beginning of the sub-section, the words
"The court of competent jurisdiction" shall be substituted.

Amendment of
section 240-H.

[*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordi-
nary)*, dated September 16, 1971]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 20, 1972 and
by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 14, 1972).

[Received the Assent of the Governor on April 25, 1972, under Article 200, of the
Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated
April 28, 1972].